FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प जैतीवास

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
जबरसिह		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–169 / 2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.11.2021	प्रार्थी जबरसिंह पुत्र चन्दनसिह जाति राजपुरोहित निवासी जैतीवास तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प जैतीवास** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, तथा खसरा नम्बर 1015 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, तथा खसरा नम्बर 1028 रकबा 0.3964 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1170 रकबा 2.6859 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 909 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 910 रकबा 0.9951 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 914 रकबा 1.9416 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 915 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 916 रकबा 0.3398 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 923 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 924 रकबा 0.6310 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 927 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 929 रकबा 0.0324 हैक्टेयर कुल खसरा 13 कुल रकबा 11.5122 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। जिसकी [illegible] में बलवन्तसिंह पुत्र रावतसिंह की थी। उक्त खातेदार [illegible] पुत्र रावतसिंह का देहान्त करीब 30 वर्ष [illegible] सिंह पुत्र रावतसिंह की भूमि का [illegible] संख्या 228 स्वीकृत किया गया तब वादी का नाम जबरसिंह के [illegible]जाय कालूसिंह लिख दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम जबरसिंह है तथा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:13 IST
Reason: SelfAttested

सरकारी दस्तावेज भी जबरसिहं के नाम से जारी किये हुए है। अन्त में निवेदन किया कि उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में कालूसिंह पुत्र चन्दनसिंह के स्थान पर जबरसिंह पुत्र चन्दनसिंह की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी जबरसिंह ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी जबरसिंह का आधार कार्ड, राशनकार्ड, जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 1014 से 929 (खाता संख्या 113) आदि को पेश किये है। तथा वादी के समर्थन में बयान गवाह भरतराम पुत्र कालुराम जाति सरगरा निवासी जैतीवास क कलमबद्ध कराये गये। कार्यालय ग्राम पंचायत जैतीवास द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब

प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में कालूसिंह गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है। एवं मै कोई भी भूमि के सम्बंध में सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रहा हूं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम जबरसिंह के बजाय कालूसिंह दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, तथा खसरा नम्बर 1015 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, तथा खसरा नम्बर 1028 रकबा 0.3964 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1170 रकबा 2.6859 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 909 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 910 रकबा 0.9951 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 914 रकबा 1.9416 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 915 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 916 रकबा 0.3398 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 923 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 924 रकबा 0.6310 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 927 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 929 रकबा 0.0324 हैक्टेयर कुल खसरा 13 कुल रकबा 11.5122 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में कालूसिंह पुत्र चन्दनसिंह के स्थान पर जबरसिंह पुत्र चन्दनसिंह की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:13 IST
Reason: SelfAttested

	संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम जैतीवास में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प जैतीवास

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:13 IST
Reason: SelfAttested

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
जबरसिह पुत्र चन्दनसिंह		राजस्थान सरकार जरिये
जाति राजपुरोहित निवासी जैतीवास		तहसीलदार बिलाड़ा

तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 169/2021

निर्णय **दिनांक** :– 24.11.
2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, तथा खसरा नम्बर 1015 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, तथा खसरा नम्बर 1028 रकबा 0.3964 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1170 रकबा 2.6859 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 909 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 910 रकबा 0.9951 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 914 रकबा 1.9416 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 915 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 916 रकबा 0.3398 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 923 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 924 रकबा 0.6310 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 927 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 929 रकबा 0.0324 हैक्टेयर कुल खसरा 13 कुल रकबा 11.5122 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में कालूसिंह पुत्र चन्दनसिंह के स्थान पर जबरसिंह पुत्र चन्दनसिंह की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत क आज तारीख 24.11. 2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			[illegible]		
मीजान			मी[illegible]		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर[illegible] फ[illegible]न का चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:13 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:13 IST
Reason: SelfAttested